

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु दिनांक 01 / 10 / 2011
से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

❖ 35 नियोजन	पृष्ठ क्र. 01-11
❖ कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 12-15
❖ बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क्र. 16-21
❖ अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क्र. 22-27

Jek; Ør dk; ky;] e/; ins'k 'kk/ u] bankj

क्रमांक: 1/9/अन्वे./पांच/2009/ 26638-937

इंदौर, दिनांक 24.09.2011

vf/kl puk

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जनवरी 2011से जून 2011 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष 2011	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी	188
फरवरी	185
मार्च	185
अप्रैल	186
मई	187
जून	189
योग (औसत)	$1120 \div 6 = 187$

तथा इनका औसत 187 घोषित करता हूँ जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 - (सी) 1-08ए-सोलह, दिनांक 30.04.2008 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30.04.2008) द्वारा परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।


॥ foukn dely ॥

श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
सक्षम प्राधिकारी

Je vk; Ør dk; kÿ;] e/; ins'k 'kk/ u/ bankj

i fjo'Li'khy egxkxkz HRRs dh I x. kuk , oa i qjhf{kr njk ds I xk ea
fooj. kRed Vhi

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30.04.2008 के पृष्ठ क्रमांक 430 से 430(20) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ - 4(सी) 1-08 ए-16 दिनांक 30-4-2008 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 128 (जनवरी-जून 2007,2001=100) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/9/अ/ पांच/2009/26638-937 दिनांक 24.09.2011 के अनुसार जनवरी 2011 से जून 2011 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 187 रहा है, तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 128 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि 59 (उनसाठ) औसत बिन्दुओं की वृद्धि तथा गत छःमाही (जुलाई-दिसम्बर 2010) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 181 के उपर 06 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 35 अनुसूचित नियोजनों परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपयें 25.00 (रू.पच्चीस) प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये 150/- (एक सौ पचास) प्रतिमाह की वृद्धि हुई है एवं इस तरह कुल राशि रूपये 1475.00 (1325+150) प्रतिमाह या रूपये 57.00 (1475÷26) प्रतिदिन दिनांक 1.10.2011 से 31.3.2012 तक देय है। (अनुसूची अ,ब,स)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची "क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 01.10.2011 से 31.3.2012 तक देय है।

vud jph & v

35 vud jph fu; kstu ea ekfl d , oansud oru dh njaft l ea ifjor u'khy egnxkbz HRRrk l fefyr gB l kadMs : i ; ka eB

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें						
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
(दिनांक 01.04.2011 से 30.09.2011 तक)							(दिनांक 01.10.2011 से 31.3.2012 तक)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3070.00	118.07	1325.00	50.96	4395.00	169.03	169.00	अकुशल	3070.00	118.07	1475.00	57.00	4545.00	175.07	175.00
3200.00	123.08	1325.00	50.96	4525.00	174.04	174.00	अर्धकुशल	3200.00	123.08	1475.00	57.00	4675.00	180.08	180.00
3350.00	128.85	1325.00	50.96	4675.00	179.81	180.00	कुशल	3350.00	128.85	1475.00	57.00	4825.00	185.85	186.00

Li "Vhdj. k&

4) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।


 1/2 foukn dphj 1/2
 श्रमायुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर

टीप :-न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अंतर्गत 35 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।

परिशिष्ट-अ
न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची

भाग - एक -

क्र.	नियोजन का नाम
1	2
1	किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन
2	वन उपज तथा वन लगाने में नियोजन
3.	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्यों में नियोजन
4	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5	इंजिनियरिंग उद्योग में नियोजन
6	सिचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8	किसी आरा मिल में नियोजन
9	किसी तेल मिल में नियोजन
10	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11	किसी मुरापोहा निर्माणी में नियोजन
12	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेंडी सम्मिलित है एवं पेय के निर्माण में नियोजन
13	पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन
16	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन तथा सीमेंट निर्माण में नियोजन
17	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18	फ्यूएल कोक में नियोजन
19	चूना भट्टा में नियोजन
20	ईट भट्टों में नियोजन
21	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23	कोसा उद्योग में नियोजन
24	खांडसारी उद्योग में नियोजन
25	पाटरिज जिसमें रिफैक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाइनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
27	किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28	कत्था उद्योग में नियोजन
29	रामरज या गेरू के निर्माण में नियोजन
30	हाथकरघा उद्योग में नियोजन
31	बोन मिल में नियोजन
32	टाईल्स, जिसमें मंगलोर टाईल्स अलाहाबाद टाईल्स, तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है परंतु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा -2 (क) में परिभाषित की गई, चलाई जाती है जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टी के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन
34.	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र, विकृति विज्ञान (पैथालोजिकल प्रयोगशाला सम्मिलित है), में नियोजन
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिसमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन

भाग-दो

1. कृषि नियोजन

ifjfk"V&c स्पष्टीकरण

ifjorli 'lhy egxlbz HArk

उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई वेतन दरें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 128 (2001=100) जनवरी, 2007 से जून, 2007 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर आधारित है। 128 सूचकांक के ऊपर प्रति छः माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 25.00 के हिसाब से की जावेगी, और स्तंभ 3 में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि स्तंभ 4 के लिए परिवर्तन शील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी, एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी।

Li "Vldj. k&R

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह केलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

- 2 कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा :-
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सकें तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए.
 - (ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हों और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है।
- (4) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
- (5) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
- (6) जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (7) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
- (8) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।


॥ founn dplj ॥
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

vdjkyj v) bdkjy dky Jfedks, oa deplfj; ks ds oxtidj. k dh / pth

vdjky

मजदूर (पुरुष एवं महिला) भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, माली, चपरासी, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाकरनर, वॉचमैन, बाटल क्लीनर, वेटर, सर्विस मैन, गैट कीपर, ट्राली बाय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़ेंवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वेंडर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला तथा अन्य अकुशल श्रमिक, रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास करियर (डाले वाला), गनी बेग फीलर, लिटकेरियर, कॉटनशीट्स केरियर, कपास पीकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोंडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, प्यून (भृत्य), सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सूखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, काडिंग लेफा पेकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बाय, सेक्यूरिटी गार्ड, सुरक्षा कर्मी, अप्रशिक्षित माली, अटेन्डर, अटेडेन्ट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), कार्डिंगलेफा, चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला ।

v) bdkjy

तार स्प्रेअर, तार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहररि, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर, वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, यातायात कर्मचारी-गण, सहायक मेकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रीलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टीकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पेटर्न मेकर, सहायक ग्रासर, सहायक आईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेन्ट, व्हीलरो केरियर, क्वेरीमेन, व्हायटिंग, विलनिंग, प्रेसरी ड्रायव्हर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोतल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेन्डेन्ट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, सहायक आपरेटर, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समेन, मशालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गुथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जावर, सह सचिव, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्वीस करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पेन आपरेटर, शार्टर, मुंशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेन्ट, ई.सी.जी. असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट कम्पाउन्डर, असिस्टेन्ट नर्स, लिफ्ट मेन, सहायक सिक््यूरिटी सुपरवाईजर, कापिस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक,

पम्प आपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पेन मिल, फ़िक्शन, प्रेस श्रमिक, गार्डनर (प्रशिक्षित माली), पंचमिक्सर, बी एवं सी मिक्समैन, कास्टर किलन्स, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा आपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्निशियन, डार्क रूम सहायक।

dlky%

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रैन लाईन मोबाईल क्रैन ऑपरेटर, केमिस्ट, खानसामा, कुक (रेंसीडेंसी कोठी) ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मॅसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास) या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी, केबिनेट मेकर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेण्डेंट, टर्नर, मोल्डर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ड्रीलर, ग्राइण्डर, मेकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सेलर मिस्त्री, सुपरवाइजर, तंदूरची, टी मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गार्ड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग स्नातक, एम टेक/एम.एस.सी डिग्री प्राप्त हाईड्रोइंजीनियरिंग, जियालॉजिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी एवं टेक्निकल डिप्लोमाधारी, मुनीम, वूड पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर किपर, ब्लेक स्मिथ, शेपर, व्हल्कनाईजर, टिंकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन आपरेटर, वायरलेस आपरेटर, पेटर्न मेकर, हेमरमेन, ग्रोसर, प्रयोगशाला तकनिशियन, शावल, बेलसिंकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेडेण्ट मोटरमेन, भट्टी वाला, पोहा बनाने वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कंप्रेसर आपरेटर, रिसेप्सनिष्ट, स्टेनोग्राफर, लान्डी अटेन्डर, वाहन चालक, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, कुक, सेक्युरिटी सुपरवाइजर, सिनियर कम्पाउन्डर, सिनियर नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेकार्ड कीपर, ओटी मेकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर) जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमैन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलीसर, ड्रायविलनडोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सिनियर मेकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेकनिशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल) पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवांयजर, वेड पेन ऑपरेटर, मेकेनिक कम ऑपरेटर, वेडर्स मेकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्स मेकेनिक कम ऑपरेटर, संवैतनिक सचिव, सेल्समेन तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

fdl h enzkky; WiaVax id % eafu; kstr Jfedks ds oxhdj. k dh l ph %

fyfidh; Jskh **, d** tJ %

अकाउण्टेंट, केशियर आदि।

fyfidh; Jskh **nks** %

बिलमेन, टायपिस्ट, क्लर्क ।

dfky Jskh **, d** tJ s %

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि ।

dfky Jskh **nks** tJ s %

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि ।

dfky Jskh **rhu** tJ s %

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि ।

v) dfky Jskh **, d** tJ s %

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निसमेन, बेक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि ।

v) dfky Jskh **nks** tJ s %

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काऊण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

vdqky Jskh tJ s %

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायक्लिनर, मजदूर आक्विजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।


॥ foukn dely ॥
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

vud ph & c

fdl h Lyd' i fl y fuelzk 'klyk es fu; kst u

elkl d , oansud oru dh njaftl ea ifjorLi'khy egxibz HHRrk Hh l flfyr gS WkdMls : i ; ka ed

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें						
प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन	प्रतिमाह प्रतिदिन						
(दिनांक 01.04.2011 से 30.09.2011 तक)					(दिनांक 01.10.2011 से 31.3.2012 तक)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4320.00	166.18	1325.00	50.96	5645.00	217.14	217.00	कटर्स	4320.00	166.18	1475.00	57.00	5795.00	223.18	223.00
3687.00	141.81	1325.00	50.96	5012.00	192.77	193.00	रोलर्स, मिस्ट्री, पाईटर्स	3687.00	141.81	1475.00	57.00	5162.00	198.81	199.00
3189.00	122.67	1325.00	50.96	4514.00	173.63	174.00	पेकर, पट्टीपेकर, सीपर	3189.00	122.67	1475.00	57.00	4664.00	179.67	180.00
3350.00	128.85	1325.00	50.96	4675.00	179.81	180.00	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	3350.00	128.85	1475.00	57.00	4825.00	185.85	186.00
3075.00	118.27	1325.00	50.96	4400.00	169.23	169.00	मजदूर	3075.00	118.27	1475.00	57.00	4550.00	175.27	175.00

Li "Vhdj. k&

4) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।


1/ foukn delj 1/2
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

vud jph & l
fdl h ep. kky; ea fu; kst u
elvl d , or n fud oru dh n jst l ea i f jor l khy eg xlbz HkRrk Hkh l fte fyr gS % kad Ms : i ; ka edh

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राऊण्डअप कर दैनिक दरें						
प्रतिमाह	प्र.दि.	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	
(दिनांक 01.04.2010 से 30.09.2011 तक)							(दिनांक 01.10.2011 से 31.03.2012 तक)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							<i>fyfid;</i>							
							<i>oxl</i>							
3350.00	128.85	1325.00	50.96	4675.00	179.81	180.00	श्रेणी एक,	3350.00	128.85	1475.00	57.00	4825.00	185.85	186.00
3200.00	123.08	1325.00	50.96	4525.00	174.04	174.00	श्रेणी दो	3200.00	123.08	1475.00	57.00	4675.00	180.08	180.00
							<i>dltj</i>							
							<i>Jst</i>							
3850.00	148.08	1325.00	50.96	5175.00	199.04	199.00	श्रेणी एक	3850.00	148.08	1475.00	57.00	5325.00	205.08	205.00
3543.00	136.27	1325.00	50.96	4868.00	187.23	187.00	श्रेणी दो	3543.00	136.27	1475.00	57.00	5018.00	193.27	193.00
3350.00	128.85	1325.00	50.96	4675.00	179.81	180.00	श्रेणी तीन	3350.00	128.85	1475.00	57.00	4825.00	185.85	186.00
							<i>v/ldjty</i>							
							<i>Jfed</i>							
3355.00	129.05	1325.00	50.96	4680.00	180.01	180.00	श्रेणी एक	3355.00	129.05	1475.00	57.00	4830.00	186.05	186.00
3200.00	123.08	1325.00	50.96	4525.00	174.04	174.00	श्रेणी दो	3200.00	123.08	1475.00	57.00	4675.00	180.08	180.00
3070.00	118.07	1325.00	50.96	4395.00	169.03	169.00	<i>v/dltj</i>	3070.00	118.07	1475.00	57.00	4545.00	175.07	175.00
							<i>Jfed</i>							

Li "Vldj. k&

*) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।


 (*foukn dely*)
 श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर

vud ph & d

e/; i n s k d s f o f i l l u u ' k k l d h i ; f o l l i x k e e s d k ; j r n s u d o r u l l i x k h j f e d k e , o a d e p l i j ; k a d s e k f l d o r u , o s n s u d o r u d h i n j a f t l e s i f j o r u ' l h y e g a k b z H k k l l f e f y r g s i k a d l l s : i ; k e e k

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें		कर्म-चारियों का वर्ग		न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन
(दिनांक 01.04.2011 से 30.09.2011 तक)								(दिनांक 01.10.2011 से 31.03.2012 तक)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3070.00	102.33	1325.00	44.16	4395.00	146.49	146.00	अकुशल	3070.00	102.33	1475.00	49.16	4545.00	151.49	151.00			
3200.00	106.66	1325.00	44.16	4525.00	150.82	151.00	अर्धकुशल	3200.00	106.66	1475.00	49.16	4675.00	155.82	156.00			
3350.00	111.66	1325.00	44.16	4675.00	155.82	156.00	कुशल	3350.00	111.66	1475.00	49.16	4825.00	160.82	161.00			

Li "Vhdj. k&

4) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

fo'kx Vhi % उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है।इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा , अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।


% foukn d e l j %
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

Jel; Ør dk; ky;] e/; ins'k 'kk/ u/ bank

कमांक: 1 / 9 / अन्वे. / पांच / 2009 / 26938-27237

इन्दौर, दिनांक 24.09.2011

vf/kl puk

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जनवरी 2011 से जून 2011 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2011	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी	589
फरवरी	584
मार्च	585
अप्रैल	587
मई	592
जून	598
योग (औसत)	3535 ÷ 6 = 589

तथा इनका औसत 589 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 4 (सी)1 -2008-ए-सोलह, दिनांक 30.04.2008 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30.04.2008) द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

¼ foukn delj ¼

श्रमायुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत
सक्षम प्राधिकारी

Je vk; Ør dk; kÿ;] e/; ins'k 'kkI u] bankj

df'k fu; kstu ea fu; kfr deplkj; ka, oa Jfedka ds fy; s 01@10@2011 I s
30-09-2011 dh vof'k grq i fforZi'khy egxkbZ HkRrs dh I x. kuk , oa i qjhf'kr
njka ds I xak ea foaj. kkrEd Vhi

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी)1-2008-ए-सोलह, दिनांक 30.04.2008 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 30.04.2008) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/9/अ/पांच./09/26938-27237 दिनांक 24.09.2011 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी 2011 से जून 2011 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 589 रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 394 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2007 के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर कुल वृद्धि 195 औसत बिन्दुओं की तथा जनवरी 2011 से जून 2011 तक की अवधि में 24 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 6/-रुपये प्रतिबिंदु प्रतिमाह के मान से रुपये 144/-(24×6) तथा कुल रुपये 1170/- या प्रतिदिन 39 रुपये (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2011 से 31.03.2012 तक देय है (अनुसूची द)

vud jph &n
df'k ea fu; kst u

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें		श्रमिकों का वर्ग		न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राऊण्ड अप कर दैनिक दरें	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	
(दिनांक 01.04.2011 से 30.09.2011 तक)																	
(दिनांक 1.10.2011 से 31.3.2012 तक)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2550.00	85.00	1026.00	34.20	3576.00	119.20	119.00	अकुशल कृषि श्रमिक	2550.00	85.00	1170.00	39.00	3720.00	124.00	124.00			

Li "Vldj. k& i fforu' lhy egxkb/ HRRk %

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 394 (1986-87 =100) जनवरी से जून, 2007 के आधार आंकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।

- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है ।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित हैं
- (7) कृषि नियोजन में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित नहीं होने से बाल श्रमिकों को अकुशल श्रमिक को इस अधिसूचना अनुसार देय मजदूरी का 70 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा ।



॥ foukn dely ॥
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

Jek; Pr dk; ky; / e; ins'k 'kk/ u/ bnkj

क्रमांक: 1/9/अन्वे./पांच/2009/27238-537

इंदौर, दिनांक 24.09.2011

vf/k/ puk

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मै विनोद कुमार, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जुलाई 2010 से जून 2011 तक के माहों के लिये सूचकांको का निम्नानुसार प्रकाशन करता हूँ:-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जुलाई, 2010	4062
2. अगस्त, 2010	4062
3. सितंबर, 2010	4087
4. अक्टूबर, 2010	4131
5. नवम्बर, 2010	4156
6. दिसंबर, 2010	4225
7. जनवरी, 2011	4289
8. फरवरी, 2011	4225
9. मार्च, 2011	4225
10. अप्रैल, 2011	4225
11. मई, 2011	4269
12. जून, 2011	4314
<i>;</i> (औसत)	50290» 12 ¼ 4191

तथा उक्तानुसार इनका औसत 4191 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 05/06/1997 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 07/06/1997 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 28-116-99-16-ए दिनांक 04 सितंबर 2000 (म.प्र. राजपत्र में दिनांक 04 सितंबर 2000 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/10/2011 से 30/09/2012 तक देय रहेगा।


¼ foukn dplj ½
Jek; Prj

e; ins'k bnkj r'fik u; wire oru
vf/kfu; e 1948 ds varx'r / fle i'f/kd'j'it

*ifjorLi'khy egxkbl HkRrs dh l x. kuk , oa i qjhf{kr njka ds l xk ea
fooj. kRed Vhi*

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/9/अ/पांच/09/27238-537 दिनांक 24.09.2011 के अनुसार जुलाई 2010 से जून 2011 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 4191 रहा है, इस तरह जुलाई 2010 से जून 2011 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (4191-3376=358) 358 अंकों की वृद्धि हुई है, इसलिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1206 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (4191/1206=2985 पाइंट) 2985 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीडी के मान से रुपये 29.85 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.10.2011 से 30.09.2012 तक देय है। (अनुसूची-ई)

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-28-116-99-16-ए, दिनांक 4 सितंबर 2000 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 4 सितंबर 2000) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.10.2011 से 30.09.2012 तक देय है।

*h/vuq jph & blz
fdl h rxdw hft l ea chMh cukuk hkh l ftefyr g% ds fofuelk k ea fu; lst u*

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरिक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1.	2.	3.	4.
1. बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिये)	रु 22.50	रु. 29.85	रु. 52.35 किंतु यदि श्रमिक को किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 292.16 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 292.16 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट:-एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 52.35 के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (4.58)अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (2.62)एवंभविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (5.50) इस प्रकार कुल रुपये 65.05 देय होगी।इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 11.00 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1.10.2011 से 30.9.2012 की अवधि में श्रमिकों को कुल रुपये 65.05 एवं भविष्य निधि कटौती उपरान्त शुद्ध राशि 54.05 प्रति हजार बीडी देय होगी

2. रिलाई श्रमिक

v- chMh ds dVVs ij f>Vyh yxtuk

1. लेबल चिपकाने तथा पुडों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रूपये 15.00 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसा प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 29.93
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रूपये 17.35 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसा प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 32.28

c- f>Vyh , oa yey yxtus l dMh dk; 1

1. झिल्ली लेबल लगाना	रूपये 11.20 प्रति एक हजार कट्टों पर	एक पैसा प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रूपये 26.13
2. झिल्ली लगाना	रूपये 7.77 प्रति एक हजार कट्टों पर	1.5 पैसा प्रति बिंदु प्रति चार हजार	रूपये 18.97
3. लेबल लगाना	रूपये 3.60 प्रति एक हजार कट्टों पर	1 पैसा प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रूपये 07.34
4. पुडा बनाना या चिपकाना	रूपये 3.85 प्रति एक हजार कट्टों पर	1 पैसा प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रूपये 07.59

l- , d gtlj dVVs ij tcf d 25 chMh; ka dk dVVs gls

1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रूपये 49.75 प्रति एक लाख बीडी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीडी पर	रूपये 109.44
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रूपये 62.45 प्रति एक लाख बीडी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीडी पर	रूपये 124.14
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य	रूपये 62.45 प्रति एक लाख बीडी पर	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीडी पर	रूपये 122.14

नोट:- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल:- ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर
- 2- अर्द्धकुशल:- बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोईया, ड्राईवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क
- 3- अकुशल ट्रक से माल चढाने या उतारने या बीड़ियों के पूड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2011 से 30.09.2012 तक निम्नानुसार देय है।

क्रं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	मंहगाई भत्ता	कुल वेतन प्रतिमाह	कुल वेतन प्रतिदिन	रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
1	कुशल	रु. 1065.44	रूपये 2985.00	4050.44	155.76	156.00
2	अर्द्धकुशल	रु. 898.30	रूपये 2985.00	3883.30	149.34	149.00
3	अकुशल	रु. 732.80	रूपये 2985.00	3717.80	142.96	143.00

Li "Vhdj.k


1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 1206 (1960=100) पर आधारित है। 1206 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।
4. निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़िया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
09. आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।


 ॥ फौज दक्षिण ॥
 श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

**Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)
effective from 01/10/2011 to 30/09/2012
V.D.A. revisable annually with effect from 01/10/2011**

01.	Basic Wage	22.50
02.	Variable Dearness Allowance	29.85
03.	Leave with Salary (@5% of total wages)	02.62
04.	Total Wages	54.97
05.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	04.58
06.	P.F. contribution of employer (@10% of total wages)	05.50
07.	Total wages + Bonus + PF Contribution)	65.05
	Less Contribution of employer (-)	05.50
08.	Total Wages + Bonus	59.55
09.	Less PF Contribution of employee (@ 10% of Total Wages) (-)	05.50
10.	Net Payable to Beedi Roller	54.05



(*Vinod Kumar*)
Labour Commissioner
Madhya Pradesh, Indore

Jek; Ør dk; kly;] el; ins'k 'kk/ u/ bankj

क्रमांक: 1 / 9 / अन्वे. / पांच / 2009 / 27538-837

इंदौर, दिनांक 24.09.2011

*vf/kl ipuk
vxjclrh m/ks*

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं विनोद कुमार, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर विगत जनवरी 2011 से जून 2011 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूं।

माह / वर्ष 2011	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)
जनवरी	870
फरवरी	857
मार्च	857
अप्रैल	861
मई	866
जून	875
योग (औसत)	$5186 \div 6 = 864$

अतः विगत छः माही का औसत 864 घोषित करता हूं जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-97-सोलह-ए दिनांक 12/01/1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15/01/1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)1-97-सोलह-ए दिनांक 18/03/1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02/04/1999 में प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 02/04/1999 से देय है।

1/ fouln delj 1/

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर एवं
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

ifjorLi'khy egxkxz HRRs dh I x.kuk , oa i qjhf{kr njks ds I xk ek
fooj. HRRd Vhi

vxjcrth m/kx

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 1/9/अ/पांच/09/27538-837 दिनांक 24.09.2011 के अनुसार जनवरी 2011 से जून 2011 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 864 रहा है इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आकड़ों के ऊपर जनवरी 2011 से जून 2011 तक की अवधि में 512 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है (864-352=512 पाईन्ट) जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1.25 (सवा पैसा) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 6.40 रुपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01/10/2011 से 31/03/2012 तक देय है।

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-97-16-ए दिनांक 12/01/1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15/01/1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-97-16-ए दिनांक 18/03/1999 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02/04/1999 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01/10/2011 से 31/3/2012 तक देय है।

vud ph , Q

vxjcrth m/kx es fu: kfr Jfedka ds fy: sll: ure etnjh dh nja

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)			
साधारण	रु. 6.31	5 पैसा प्रति 4 हजार	रुपये 12.71
सुगंधित (सेंटेड)	रु. 6.78	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	रुपये 13.18

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेकेट में भरकर पेकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना

fcuk fl ykQu ; k ftyWu ds

		रु.		रु. पैसे
1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 5.37	5 पैसा प्रति बिंदु 500	10.49
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 5.84	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	10.96
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 5.84	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	10.96
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 7.60	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	14.00
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 10.28	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	18.83
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 11.05	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	21.29
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 11.92	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	22.16
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 14.28	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	27.08

fl ykQu ; k ftyWu ds

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 5.84	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	10.96
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 7.25	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	13.65
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 8.62	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	16.87
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 9.12	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	17.67
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 10.52	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	19.07
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 11.92	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	22.16
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 13.33	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	26.13
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा	रु. 15.21	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	28.01

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

fcuk fl ykQu ; k ftyWu ds

		रु.		रु. पै.
1. 10 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 4.45	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	08.70
2. 12 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 4.90	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	09.17
3. 23 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 5.82	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	10.94
4. 50 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 6.31	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	11.43
5. 100 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 7.25	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	13.65
6. 200 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	रु. 8.41	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	14.81

WV% / kns fyQkQs es vxjcrth j [kdj an djuk%

1. 5 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकडा	0.94	5 पैसा प्रति बिंदु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिंदु)	1.96
2. 10 अगरबत्ती के लिफाफे के लिये रोल बनाना	प्रति सैकडा	1.15	5 पैसा प्रति बिंदु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिंदु)	2.28
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	18.00	5 पैसा प्रति बिंदु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिंदु)	19.69

deplfj; k dk oxl Yekfl d nj½ U; ure etnjh
01-04-2011 / s 30-09-2011 rd

क्रं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूलवेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप दैनिक दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउनकीपर	1699.75	65.37	2560.00	98.46	4259.75	163.83	164.00
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क	1590.50	61.17	2560.00	98.46	4150.50	159.63	160.00
3.	मिस्ट्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाला	1699.75	65.37	2560.00	98.46	4259.75	163.83	164.00
4.	पेटी भरनेवाला, मसाला तोलने वाला	1590.50	61.17	2560.00	98.46	4150.50	159.63	160.00
5.	पुडा बनाने वाला मसाला भरने वाला, भृत्य	1482.40	57.01	2560.00	98.46	4042.24	155.47	155.00

नोट:— अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्ट्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

Li "Vtdj. k

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राऊण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही. डी.ए.) जनवरी, 1997 से जून 1997 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 352 (1982=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कालम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 5.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

॥ fouln delj ॥

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर

Jel; Ør dk; kY;] e/; ins'k 'kk/ u/ bank

क्रमांक: 1/9/अन्वे./पांच/2009/27838-28137

इंदौर, दिनांक 24.09.2011

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित.
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एव ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर
21. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ.
22. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश .
23. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
24. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल .
30. मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, भोपाल.
32. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. सहायक श्रमायुक्त, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, सतना, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, चंबल (मुरैना), नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) शहडोल, सिंगरोली ।
34. शासकीय श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर, देवास, कटनी, धार, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, शाजापुर, गुना, दमोह, शहडोल, विदिशा, मंडला, बैतुल, रीवा, खरगोन, पीथमपुर, मालनपुर, मंडीदीप, छतरपुर, छिंदवाडा, भिंड, राजगढ (ब्यावरा), सीधी,
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .
36. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर.
37. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सतना, देवास, रतलाम.
38. सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मंदसौर.
39. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल,
40. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।


 ¼ foukn dplj ½
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इन्दौर